	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
3/20	11/3/20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी हाजिर। बहस सुनी गयी। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह स्थापित होता हो कि मन्दिर का वास्तविक पुजारी वादी ही है। साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद पत्र इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पर्चा डिक्री कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	(रणजीत सिंह) SDO	
	उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner